# न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1082–पी0बी0आर0/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 19–8–2004 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 19/2003–04 अपील

हाकिम सिंह पुत्र कालीचरण बाहमण
ग्राम खेरिया तोर, तहसील मेहगॉव
जिला भिण्ड व्दारा पावर आफ अर्टानी
दिनेश पुत्र रामनरेश ब्राहमण निवासी
ग्राम खेरिया तहसील मेहगॉव जिला भिंड ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीकृष्ण पुत्र भगवती प्रसाद ब्राहमण
ग्राम खेरिया तोर तहसील
मेहगॉव जिला भिण्ड ---अनावेदक

(आवेदिका के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी )

आ दे श

(आज दिनांक 4–1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 19/2003–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक

19-8-2004 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम खेरिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 254/1 एवं 254/2 की नक्शे में अंकित की गई बटांकन रेखा को तहसीलदार मेहगॉव ने प्रकरण क्रमांक 9/2001-02 अ - 3 में पारित आदेश दिनांक 7-1-2003 से सही होना माना। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 30/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 10-2-2004 से तहसीलदार के आदेश 7-1-2003 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि पूर्व के प्रकरण क्रमांक 99/1987-88 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 25-3-1991 अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम हो चुका है जिसके अनुसार नक्शा में लाइन डाली जाय। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 10-2-2004 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 19/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-8-2004 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायाय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि तहसीलदार मेहगॉव व्दारा पूर्व के प्रकरण क्रमांक 99/1987-88 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 25-3-1991 से ग्राम खेरिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 254/1 एवं 254/2 के

नक्शे में बटांकन रेखा डालने का निर्णय लिया और जब तक तत्कालीन तहसीलदार मेहगॉव के पूर्व प्रकरण कमांक 99/1987-88 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 25-3-1991 स्थिर रहेगा, उक्तांकित अनुसार रेखा में फेर-बदल नहीं किया जा सकता, परन्तु तहसीलदार मेहगॉव ने आदेश दिनांक 25-3-1991 की अनदेखी करके नवीन प्रकरण कमांक 9/2001-02 अ-3 दायर कर त्रृटिपूर्ण आधारों पर आदेश दिनांक 7-1-2003 पारित किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर, भिण्ड ने आदेश दिनांक 10-2-2004 से तहसीलदार मेहगॉव के आदेश दिनांक 7-1-2003 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 19/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-8-2004 से अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 19/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-8-2004 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर